

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जून 2015—ज्येष्ठ 28, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 जून 2015

क्र. एफ ए-1-06-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आबंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 में, अनुसूची में, शीर्षक “एक—सामान्य प्रशासन विभाग” के अधीन, भाग (आ) “विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम” में, अनुक्रमांक 21 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

- “22. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
- 23. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2015

क्र. एफ ए-1-06-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-1-06-2015-एक-(1), दिनांक 18 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th June 2015

No. F-A-1-06-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 2, in the Schedule, under the heading “I-General Administration Department”, in part (B), after serial number 21, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

- “22. The Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012).
- 23. The Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIA, Add. Secy.